माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : परीक्षा–1/सैल–8/ 746   दिनांक: 19.5.12

कार्यालय–आदेश

बोर्ड अधिवेशन दिनांक 02.05.2012 के निर्णयानुसार वर्ष 2013 की परीक्षा से निम्न आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1– विकलांग परीक्षार्थियों को विकलांगता प्रतिशत के आधार पर श्रुति लेखक देने की स्थिति में भी परीक्षा देने हेतु एक घण्टा अतिरिक्त समय देय होगा।

2– परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के उच्च अध्ययन करने के पश्चात् वह बोर्ड की किसी भी स्तर की परीक्षा में प्रवेश योग्य नहीं होगा।

3– बोर्ड की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अतिरिक्त विषय निम्नानुसार लिये जा सकेंगे।

- उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षार्थी को इस परीक्षा के किसी भी संकाय में कोई भी विषय अतिरिक्त रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
- वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण परीक्षार्थी को वरिष्ठ उपाध्याय से संबंधित विषयों में अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
- प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को प्रवेशिका से संबंधित विषय तथा माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा से संबंधित विषय में ही अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
- यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा लिए गये विषय में उच्च अध्ययन कर लिया है तो अतिरिक्त विषय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4– बोर्ड परीक्षा आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् विषय परिवर्तन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

- परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात् 30 नवम्बर तक विषय परिवर्तन हेतु प्रति विषय एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।
- 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन हेतु दुगुना परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।
- 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर पर अथवा परीक्षा केन्द्र पर, प्रश्न–पत्र केन्द्र पर उपलब्ध होने की स्थिति में विषय परिवर्तन करने हेतु रूपये 1000/– प्रति विषय शुल्क लिया जावेगा।
- यदि परीक्षा केन्द्र पर संबंधित विषय के प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं हो तथा पृथक से व्यवस्था करनी पड़े तो ऐसे प्रकरणों में रूपये 2000/– प्रति विषय परिवर्तन शुल्क लिया जावेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन दिवस पूर्व सूचना बोर्ड को देनी होगी।
  (यदि परीक्षार्थी परीक्षा के तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन की सूचना नहीं देता है तो उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।)

19/5/12
सचिव

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, (माननीय अध्यक्ष महोदय)
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान डॉ. आर.के. शिक्षा संकुल, ज.ला.ने.मार्ग, जयपुर
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
7. समस्त बोर्ड अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

19/5/12
सचिव